न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 130/2016

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र गुरवंशसिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. गगनदीपसिह पुत्र राजवीरसिह जाति सिख निवासी चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. गुरबंशसिंह पुत्र भागसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजवीरसिंह पुत्र गुरबंशसिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 91, 188, 92ए आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 09.05.2017**

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 91, 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी संख्या 1 के दादा तथा वादी संख्या 2 के परदादा स्व. भागसिंह पुत्र दलीपसिंह के नाम से चक 4 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में 25 बीघा नहरी भूमि थी स्व. भागसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त हिन्दु खानदान था तथा उपरोक्त भूमि की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 36 के 6.187 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13 तथा 18 की 2.087 हैक्टर कुल 8.349 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय खाला बनाई गई जो कि वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त हिन्दु खानदान की जद्दी व अविभाजित सम्पत्ति के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की नकल शामिल है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त हिन्दु खानदान रहा जिसका कर्त्ता व मैनेजर प्रतिवादी संख्या 1 होने से उसके नाम से उक्त भूमि दर्ज चली आ रही है।

परिवार बढ़ जानें के कारण तथा संयुक्त रूप से उपरोक्त भूमि को काश्त करना सम्भव ना रहनें के कारण तथा परिवार में स्नेह तथा प्यार रहे तथा सद्भाव कायम रहे को देखते हुए वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 के द्वारा आपसी सहमती से उपरोक्त भूमि का पारिवारिक समझौता द्वारा विभाजन किया गया जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से रकबा पारिवारिक समझौता में मिला तथा कब्जा काश्त में चला आ रहा है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

1. सुखविन्द्रसिह पुत्र गुरबंशसिंह वादी संख्या 1 के हिस्सा में आई भूमि :– चक 23 जैड़ तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 13 का साढ़े 11 बिस्वा, किला नम्बर 14 सालम, 17 ता 24 सालम सालम किला नम्बर 15 में 0.228 किला नम्बर 16 में 0.228 तथा किला नम्बर 25 में 0.215 कुल 18 बीघा साढ़े 4 बिस्वा।
2. गगनदीपसिंह व राजवीरसिंह वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि :– चक 23 जैड़ तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 1 ता 4 सालम सालम, 7 ता 12 सालम सालम किला नम्बर 5 का 0.228, किला नम्बर 6 का 0.228 तथा किला नम्बर 13 में साढ़े 8 बिस्वा किला नम्बर 12 के साथ लगते हुए 12 बीघा साढ़े 4 बिस्वा।
3. वादी संख्या 1 गुरबंश सिंह के हिस्सा कब्जा में आई भूमि :– चक 23 जैड़ तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 53 का 2.087 हैक्टर

इस प्रकार वादीगण तथा प्रतिवादीगण मौके पर काबिज चले आ रहे है। तथा अपनें हिस्सा में आई भूमि को काश्त करके लगान मामला आदि अदा कर रहे है।

अब प्रतिवादी संख्या 1 जो कि कुछ गलत लोगों के प्रभाव में आया हुआ है, तथा रकबा को मुन्तकिल करने की कौशिश में है जिसके लिये व लोगों से बातचित कर रहा है। तथा शीघ्र ही रजिस्ट्री करवाने की कोशिश में है। जो कि राजस्व रिकार्ड में रकबा प्रतिवादी संख्या के नाम से दर्ज होनें का अनुचित लाभ उठाकर मुन्तकिल करनें की कोशिश में है जबकि पारिवारिक समझौता में मुरब्बा नम्बर 36 का रकबा वादीगण को भी हिस्सा में आया हुआ है। तथा कब्जा काश्त में चला आ रहा है। इस प्रकार यदि प्रतिवादी संख्या 1 रकबा को मुन्तकिल करनें में सफल हो गया तो वादीगण को ना पुरा होनें वाला नुकसान होगा अतः वादीगण के लिये अपनें अधिकारों की घोषणा करवाना तथा डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना आवश्यक हो गया है जिसके लिये दावा हाजा लाना जरूरी हो गया है। प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण के साथ सहमत है। मगर आज रोज साथ ना होनें के कारण प्रतिवादी बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिये पक्षकार बनाया गया है।

यह दावा वादीगण पेश करके अर्ज है, कि वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. डिक्री इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 36 व 53 की 8.349 हैक्टर नहरी मय खाला पारिवारिक समझौता व विभाजन के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा व कब्जा में 1. सुखविन्द्रसिह पुत्र गुरबंशसिंह वादी संख्या 1 के हिस्सा में आई भूमि चक 23 जैड़ तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 13 का साढ़े 11 बिस्वा, किला नम्बर 14 सालम, 17 ता 24 सालम सालम किला नम्बर 15 में 0.228 किला नम्बर 16 में 0.228 तथा किला नम्बर 25 में 0.215 कुल 18 बीघा साढ़े 4 बिस्वा। 2. गगनदीपसिंह व राजवीरसिंह वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि चक 23 जैड़ तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 1 ता 4 सालम सालम, 7 ता 12 सालम सालम किला नम्बर 5 का 0.228, किला नम्बर 6 का 0.228 तथा किला नम्बर 13 में साढ़े 8 बिस्वा किला नम्बर 12 के साथ लगते हुए 12 बीघा साढ़े 4 बिस्वा का उनको खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे, लगान मामला कायम किया जावे।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

2. डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 इस अमर की सादिर की जो कि वह वादीण व प्रतिवादी सख्या 2 के हिस्सा में आई उपरोक्त भूमि में स्वयं अथवा अन्य की सहायता से मदाखलत करनें रकबा को मुन्तकिल करने से बाज व ममनु रहे।
3. खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।
4. अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद पत्र के चरण संख्या 8 पारिवारिक समझौतानुसार वादी एवम् प्रतिवादीगण के हिस्सा कब्जा में आई भूमि के अनुसार वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में उनके नाम भूमि दर्ज करनें पर प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 3 राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। विवादित रकबा वर्तमान में ओ.बी.सी. बैक शाखा 15 जैड़ के रहन है राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें में राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 08.05..2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अनतर्गत कैम्प ग्राम पंचायत 11 एल.एन.पी. में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये जानें पर वादीगण की पहचान श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि प्रार्थीगण के दादा व अप्रार्थी संख्या 3 के पिता भाग सिंह पुत्र श्री दलीपसिंह के नाम से चक 4 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में 25 बीघा नहरी भूमि थी मिकर का संयुक्त हिन्दु खानदान था उक्त भूमि की आय से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 36 के 6.187 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13 तथा 18 की 2.087 हैक्टर कुल तादादी 8.349 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय खाला बनाई गई जो कि प्राथीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त हिन्दुखानदान की जद्दी व अविभाजित सम्पत्ति के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, क्योंकि हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज है, इसलिये अब हमारा आपसी घरू राजीनामा हो गया है जो राजीनामा निम्नलिखित है :–

1. प्रार्थी संख्या 1 सुखविन्द्रसिह के हिस्सा में आई भूमि :– चक 23 जैड़ तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 13 का साढ़े 11 बिस्वा, किला नम्बर 14 सालम, 17 ता 24 सालम सालम किला नम्बर 15 में 0.228 किला नम्बर 16 में 0.228 तथा किला नम्बर 25 में 0.215 कुल 18 बीघा साढ़े 4 बिस्वा।
2. प्रार्थी संख्या 2 गगनदीपसिंह व राजवीरसिंह अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में आई भूमि :– चक 23 जैड़ तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 1 ता 4 सालम सालम, 7 ता 12 सालम सालम किला नम्बर 5 का 0.228, किला नम्बर 6 का 0.228 तथा किला नम्बर 13 में साढ़े 8 बिस्वा किला नम्बर 12 के साथ लगते हुए 12 बीघा साढ़े 4 बिस्वा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 4

3. अप्रार्थी संख्या 1 गुरबंश सिंह के हिस्सा कब्जा में आई भूमि :– चक 23 जैड़ के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 53 का 2.087 हैक्टर भूमि आई है।

पक्षकारान अपनी भूमि पर काबिज है तथा इसी हिसाब से अपना अपना राजीनामें के आधार पर बंटवारा करवाना चाहते है। उपरोक्त बटवारा के आधार पर डिक्री किया जावे।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य राजीनामा पेश होनें से कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके अर्न्तगत वाद पत्र के बिन्दूओं को ही दोहराया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई दौरानें वाद पत्र एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि चक 4 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में 25 बीघा नहरी भूमि थी मिकर का संयुक्त हिन्दु खानदान था उक्त भूमि की आय से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 36 के 6.187 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13 तथा 18 की 2.087 हैक्टर कुल तादादी 8.349 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय खाला बनाई गई जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त हिन्दुखानदान की जद्दी व अविभाजित सम्पत्ति के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादी सख्या 2 का भी हक हिस्सा हैं, तथा उभयपक्ष में राजीनामा होने के कारण वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत राजीनामा अनुसार वादी संख्या 1 को 3.093 हैक्टर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिस्सा बराबर 3.094 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत भूमि का विभाजन राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 सुखविन्द्र सिंह पुत्र गुरवंशसिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
23 जैड	12/15	36	13/.145, 14/.253, 15/.228, 16/.228, 17/.253, 18/.253, 19/.253, 20/.253, 21/.253, 22/.253, 23/.253, 24/.253, 25/.215	3.093 हैक्टर

लगातार 5

2. वादी संख्या 2 गगनदीपसिह पुत्र राजवीरसिह तथा प्रतिवादी संख्या 2 राजवीरसिंह पुत्र गुरबंशसिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
23 जैड	12/15	36	1/.253, 2/.253, 3/.253, 4/.253, 5/.228, 6/.228, 7/.253, 8/.253, 9/.253, 10/.253, 11/.253, 12/.253, 13/.108	3.094 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 1 गुरबंशसिंह पुत्र भागसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
23 जैड	12/15	53	1/.253, 2/.253, 3/.253, 8/.253, 9/.253, 10/.253, 11/.088, 12/.215, 13/.253, 18/.088	2.087 हैक्टर मय गैर मुमकिन

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 08.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 11 एल.एल.पी. में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर